राजस्थान सरकार

स्वायत्त शासन विभाग, राज. जयपुर

दूरभाष सं. 0141-2222403, 2226719 फैक्स सं. 0141-2222403 वेबसाईट : www.lsg.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांकः प.1 (ग)( )का./विविध/एसएमई/डीएलबी/21/142387-600 दिनांक : 03/11/2021

आयुक्त/अधिशाषी अधिकारी
नगर निगम/परिषद/पालिका
समस्त राजस्थान।

विषय : मौसमी बीमारियों के नियंत्रण हेतु आवश्यक कार्यवाही करने बाबत।

प्रसंग : विभाग का पूर्व समसंख्यक पत्रांक : 140238-450 दिनांक 14.10.2021 एवं शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग का आदेश सं. : आईडीएसपी/कोरोना/21-22/1304 दिनांक 19.10.2021 के क्रम में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्रों के क्रम में लेख है कि मानसून की बारिश के दौरान राज्य के अधिकतर जिलों में अत्यधिक वर्षा/अतिवृष्टि के कारण शहरी क्षेत्रों में शहर के निचले इलाकों (Low Laying Area) व नालों में रूकावत आ जाने के कारण पानी सड़को व गलियों में आ जाता है, उक्त ठहरने हुये गन्दे पानी से डेंगू व मलेरिया कारक मच्छर पैदा होने की संभावना अधिक रहती है। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के अनुसार वर्तमान समय में बारिश के पश्चात् डेंगू, मलेरिया एवं स्क्रब टाईफस रोग प्रमुखता से पाये जा रहे हैं।

माननीय मुख्यमंत्री महोदय की अध्यक्षता में मौसमी बीमारियों की रोकथाम की समीक्षा हेतु आयोजित विड़ियों कांफ्रेंस के दौरान राज्य में मौसमी बीमारियों के नियंत्रण हेतु फोगिंग का प्रयोग एवं लार्वा/मच्छरनाशक कीटनाशक का छिड़काव करने हेतु निर्देश दिये गये हैं।

अतः निर्देशों की पालना में मौसमी बीमारियों के नियंत्रण हेतु निम्नानुसार कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें :-

1. नगरीय निकायों क्षेत्रों में एकत्रित कचरे/मलबे को अविलम्ब हटाया जावे। शहर की नालियों/गलियों व अन्य स्थानों पर इकट्ठे गंदे पानी की निकासी सुनिश्चित की जावे एवं इकट्ठे गंदे पानी व नालियों में कीटनाशक, लार्वा/मच्छरनाशक दवाओं एवं काले तेल का छिड़काव करवाया जावे।

2. नगर निकायों के पास उपलब्ध फोगिंग मशीनों से वार्डवार कार्ययोजना बनाकर फोगिंग किया जावे, जो मशीन चालू स्थिति में नहीं हैं, उन्हें तुरन्त नियमानुसार सही करवाकर प्रयोग में लाई जावे। जिन नगर निकायों के पास फोगिंग मशीन उपलब्ध नहीं है, उनके द्वारा स्वयं के स्रोत से फोगिंग मशीन किराये पर लेकर अथवा नियमानुसार क्रय कर अविलम्ब फोगिंग की कार्यवाही सुनिश्चित की जावे।

3. सार्वजनिक सुविधाओं – शौचालयों एवं मूत्रालयों की विशेष सफाई करवाई जावे एवं सार्वजनिक सुविधाओं के आस-पास कीटनाशक/लार्वानाशक दवाओं का छिड़काव करवाया जावे।

RL/DLB/DLB/Road Repair Letters.doc

Scanned with CamScanner

4. आई.ई.सी. गतिविधियों के माध्यम से आमजन को जागरूक कर मौसमी बीमारियों की रोकथाम एवं इसके प्रभाव को कम किये जाने के प्रयास किये जावें।

5. प्रशासन शहरों के संग अभियान–2021 कैपों में आमजन को जागरूक कर डेगूं की रोकथाम के प्रयास किये जावें।

6. जिला कलक्टर स्तर पर समीक्षा करवाकर अति संवेदनशील क्षेत्रों के लिये विशेष कार्य योजना बनाई जाकर कार्य किया जावें।

अतः इस सम्बन्ध में पुनः निर्देशित किया जाता है कि समस्त नगरीय निकायों द्वारा फोगिंग व लार्वानाशक/कीटनाशक का छिड़काव के कार्यो को समयबद्ध तरीके से विभागों से आपसी सामजस्य कर सर्वोच्च प्राथमिकता से जिम्मेदारी के साथ अविलम्ब सम्पादित करावें।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार।

(दीपक नन्दी)
निदेशक एवं विशिष्ठ सचिव

क्रमांकः प.1 (ग)( )का./विविध/एसएमई/डीएलबी/21/14260-90 दिनांक : 03/11/2021
प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री महोदय, स्वायत्त शासन विभाग, राज. जयपुर।
3. संयुक्त सचिव, मुख्य सचिव महोदय, राजस्थान सरकार, जयपुर।
4. निजी सचिव, जिला प्रभारी प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव (समस्त), जयपुर।
5. निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राज. जयपुर।
6. निजी सचिव, शासन सचिव, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग, राज. जयपुर उनके आदेश सं. : आईडीएसपी/कोरोना/21–22/1304 दिनांक 19.10.2021 के क्रम में।
7. निजी सचिव, निदेशक एवं विशिष्ठ सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राज. जयपुर।
8. महापौर/सभापति/अध्यक्ष, नगर निगम/परिषद/पालिकायें, समस्त राजस्थान।
9. निदेशक (जन स्वास्थ्य), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान जयपुर।
10. सम्भागीय आयुक्त (समस्त), राजस्थान।
11. जिला कलेक्टर्स, समस्त राजस्थान।
12. समस्त अधिकारीगण, निदेशालय।
13. उप निदेशक (क्षेत्रीय), स्थानीय निकाय विभाग, समस्त राजस्थान।
14. वरिष्ठ स्वास्थ्य अधिकारी/स्वास्थ्य अधिकारी, नगर निगम/परिषदें (समस्त)।
15. अधिशाषी अभियन्ता, नगर निगम/परिषद (समस्त), समस्त राजस्थान।
16. संयुक्त निदेशक (जन सम्पर्क), निदेशालय को प्रिंट मीड़िया/इलेक्ट्रोनिक मीड़िया में प्रकाशनार्थ।
17. प्रोग्रामर, आई.टी. सेल, निदेशालय को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड़ करने।
18. सुरक्षित पत्रावली।

(एन. के. वर्मा)
उप निदेशक (प्रशासन)

Scanned with CamScanner